25/141

जयराम वगै0 बनाम कल्याण सहाय वगै0

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर

केस संख्या ...68.../2025 दावा बाबत् अन्तर्गत धारा 53,188 आरटीए 1955

या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	17.09.2025	वदीगण की ओर से यह वाद पत्र जरिये अभिभाषक श्री सुरेन्द्र सिंह शेखावत द्वारा पेश किया गया । रिपोर्ट सरिस्ता ली गई । वाद पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक ....29/10/25.........को पेश हों । उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला–जयपुर (राज.)	
	29/10/25	वकील उभयपक्ष ने न्यायिक कार्य स्थगित रखा P.O. साहब अन्य प्रशासनिक कार्य से.......जयपुर प्रवास.............है। पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 17/11/25 को पेश हो। प्रस्तुतकार	
	17/11/25	उभय पक्ष उपस्थित/अभिभाषक संघ ने न्यायिक कार्य स्थगित रखा/ PO साहब अन्य प्रशासनिक कार्य से .... है। पत्रावली गत आदेशानुसार दि. 21/11/25 को पेश हो। (रीडर)	
	21/11/25	पत्रावली पेश हुई। वादीगण की ओर से श्री मंगलचन्द यादव एडवो० ने वकालतनामा पेश किया। साथ ही वादीगण के पूर्व वकील श्री सुरेन्द्र सिंह एडवो० ने वकालतनामा पर नो ऑब्जेक्शन जाहिर किया। वादीगण की ओर से नवीन अधिवक्ता द्वारा प्रा० पत्र बाबत नया दावा पेश करने की अनुमति के साथ दावा विड्रा करने का पेश किया। वादीगण स्वयं न्यायालय उपस्थित होकर आदेशिका पर हस्ताक्षर किया जिनकी पहचान उनके अधिवक्ता द्वारा की गयी। अतः वकील वादी द्वारा प्रस्तुत प्रा०पत्र के आधार पर नया वाद पेश करने की अनुमति के साथ उक्त वाद पत्र विड्रा किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला–जयपुर (राज.)	(केशरकुमार) सरजो मोमाराम